न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/2022 जिला दौसा

1. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री शिव लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र श्री राम सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा जिला दौसा।
2. सियाराम पुत्र श्री मोती राम
3. राधेश्याम पुत्र श्री मोती राम
4. हरिओम पुत्र श्री चिरंजी
5. अमर सिंह पुत्र चिरंजी
   जाति मीना, निवासीयान ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार, जरिये भूमि धारक, तहसील महवा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

7. श्रीमती गिन्नों पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।
8. श्रीमती बीना पुत्री स्व. श्री कैलाश चन्द पत्नी श्री प्रेमचन्द, जाति मीना निवासी ग्राम रायसना, तहसील नादौती, जिला करौली ।
9. कुलदीप पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।
11. जगदीश पुत्र स्व. श्री शिवलाल, जाति मीना, निवासीयान ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा।

—प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 03.12.2020

उपस्थित—

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री गिरधर सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक —18.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 03.12.2020 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष तहसीलदार महवा के द्वारा खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तकरण मोती पुत्र कंचन, हजारी लाल पुत्र रामसहाय, हरिओम, अमरसिंह पिसरान चिरंजीलाल हिस्सा 1/4 व शिवलाल पुत्र चंदन हिस्सा 1/4 के नाम पटवारी हल्का से दर्ज करवाकर दिनांक 03.02.1983 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 03.02.1983 ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा को गलत बताते हुये निरस्त करवाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2020 को तहसीलदार महवा जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1983 बाबत इन्तकाल संख्या 344 को निरस्त कर पुनः प्रकरण तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

महवा को रिमाण्ड कर पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 03.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट बाबू लाल पुत्र स्व. श्री शिव लाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 03.12.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 127 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 291 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 451 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 282/534 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम हुडला, तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी मोती पुत्र कंचन हिस्सा 1/2 तथा हजारी पुत्र राम सहाय व हरिओम, अमर सिंह पिसरा चिरंजी लाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज चली आ रही थी। तहसीलदार महवा ने नाजायज रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरकरण मोती पुत्र कंचन, हजारी लाल हपुत्र राम सहाय, हरिओम, अमरसिंह, चिरंजी लाल हिस्सा 1/4 व शिव लाल पुत्र चंदन हिस्सा 1/4 के नाम पटवारी हल्का से दर्ज करवा कर दिनांक 03.02.1983 को भरवा कर अवैध रूप से तस्दीक करवा दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 03.02.1983 ग्राम हुडला तहसील महवा के विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही दिनांक 03.12.2020 को अपील स्वीकार फरमा दी। प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य व सबूत लिये ही निर्णय पारित कर दिया है। उपरोक्त नामान्तरकरण राजस्व अभियान के तहत वापसी रजामंदी से खोला गया था तदोपरान्त ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया था, परन्तु उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने के करीबन 32 साल बाद उक्त अपील पेश की गयी है। मियाद के बिन्दु पर भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है जबकि कानूनन सर्वप्रथम मियाद का बिन्दु तक होने के उपरान्त ही अपील की सुनवाई का निर्णय करना चाहिये था माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय ना कर, अपील स्वीकार फरमा दी गयी है। ऑर्डर 43 (3)– specific है कि यदि किसी अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र है, तो दफा 5 प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील से पूर्व करना होगा। जिला कलक्टर दौसा आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। रेस्पोडेन्ट का कहना था कि मेरा व हरिराम, अमरसिंह आदि का नाम हटा दिया। हजारी लाल के अलावा किसी ने ऑर्डर को चुनौती नहीं दी गयी है, जबकि सबके अधिकार प्रभावित हुए हैं। कलक्टर दौसा ने रिमाण्ड करने की कोई finding नहीं दी। दिनांक 24.1.1983 को सहमति के आधार पर ऑर्डर हुआ था। दिनांक 24.01.1983 का ऑर्डर अभी तक अपास्त नहीं हुआ है। दिनांक 24.01.1983 का ऑर्डर पत्रावली पर नहीं है। इनको 24.01.1983 को निरस्त करवाने की अपील करनी चाहिए थी, न कि नामान्तरकरण की। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व दस्तावेजात् की जॉच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 03.12.2020. निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.डी. 2011 पेज 386, (2) LLC मध्यप्रदेश 2021 (2) पेज 765, (3) AIR 2014 छत्तीसगढ पेज 143, (4) AIR 2017 (NOC) पेज 52 (5) आर.आर. टी. 2006 (2) पेज 1092 (6) आर.आर.डी. 2011 पेज 386 (7) आर.आर.टी. 2021 (1)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पेज 385 (8) आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 130 (9) DNJ सुप्रीम कोर्ट 2009 पेज 141

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कानूनन किसी भी भूमि का नामान्तरकरण खोले जाने हेतु या किसी भी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री या कोई हस्तान्तरण अभिलेख या किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने के पश्चात इंतकाल द्वारा उसके वारिसान को उत्तराधिकार में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर ही नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का ना ही तो कोई विलेख है और ना ही शिवलाल किसी खातेदार का उत्तराधिकार था और ना ही किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय व डिक्री की है। उक्त नामान्तरकरण बिना किसी अधिकार के पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः शून्य व खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण भरने व तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट और न ही अन्य खातेदारान को किसी प्रकार का नोटिसस दिया है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पीठ पीछे से अवैध तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। खसरा नम्बर 191 या 192 या 291, 292 या 290 वाके ग्राम हुडला से कोई लेना देना व सरोकार नहीं रहा है। अपीलांट राजकीय सेवा में सेवारत था तथा नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहता था। अपीलांट सेवानिवृति के पश्चात गांव आकर रहने लगा और उपरोक्त वर्णित भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। परन्तु दिनांक 14.05.2015 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास किसान केडिट कार्ड हेतु जमाबंदी की नकल लेने गया तो उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बरान में शिवलाल पुत्र चंदन का नाम खातेदारी में अंकन पाया गया। तब अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान तहसील महवा के द्वारा पटवारी हल्का हुडला को प्रेषित पत्र दिनांक 24.01.1983 में रजामंदी का हवाला दिया गया है किन्तु कोई दस्तावेज इस संबंध में नहीं है। अपील पेश होने के बाद तहसील के रिकार्ड में छेडखानी कर खसरा नम्बर 191 को 291 किया गया है। नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खोला गया है। अवैधानिक आदेश को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपील पेश की गयी। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा प्रश्नगत नामान्तकरण 344 दिनांक 3.2.1983 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को रिमाण्ड किया गया है कि पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा तर्क उठाया है कि उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने के करीबन 32 साल बाद अप्रार्थी संख्या 1 हजारी लाल ने विचारण न्यायालय के आदेश के दिनांक 03.02.1983 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 28.06.2016 को लगभग 32 वर्ष पश्चात अपील पेश की, अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सुरक्षित रखते हुये आलौच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 पारित कर तहसीलदार महवा जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1983 को निरस्त कर पुनः प्रकरण तहसीलदार महवा को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रिमाण्ड कर पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत पारित करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आदेश 41 नियम 3 (ए) सीपीसी के तहत सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है तथा जब तक मियाद के बिन्दु को निर्णित नहीं किया जाता है तब तक अपील सुनवाई हेतु पूर्ण नही है तथा अपील में किसी प्रकार निर्णय अथवा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमने 41 नियम–3–ए सीपीसी का अवलोकन किया, जो निम्नानुसार है :–

"3-A. Application for condonation of delay- (1) When an appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompained by and application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(2) If the court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice thereof shall be issued to the respondent and thematter shall be finally decided by the Court before it proceeds to deal with the appeal under Rule 11 or Rule 13, as the case may be.

(3) Where an application has been made under sub-rule (1), the Court shall mot make an order for the stay of execution of the decree against Which the appeal is proposed to fe filed so long as the Court does not, after hearing under rule 11, decide to hear the appeal.

उपरोक्त प्रावधित प्रावधानानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा मियाद के बिन्दु को अनिर्णित रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्मयक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

<u>अतः–</u>अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 03.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा जिला कलक्टर दौसा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर सुनकर पहले निर्णित करें एवं तत्पश्चात् अपील का विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/23

(असलम शेर खांन)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner